

न जन्म लगातार बारिश होती है तो तार के नीचे वाले महसूस होता है लवई मवेशियों की मीत हो चुकी है। 11 हजार ने के लिए कई बार विभाग से शिकायत की गई पर तार को नट नहीं किया गया कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। समय रहते गया तो बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

कि हाइड्रेशन तार को बदलने में मुख्यतः से एकल लेना पड़ता है एक दो माह का समय लेगा तब तक कवर केवल से खतरा से बचा जा सकता है जिसे दलित बस्ती के लोगों ने नहीं करने दिया।

के रूप में हुई है। उसने नगर बाने में आवेदन देकर बाई 14 निवासी सोनू खन्त, चक्रवर्ती सहित अन्य लोगों को आरोपित किया है।

पंजाब नैशनल बैंक

...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank

...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)

सर्किल ऑफिस सैम आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

फोन नं.: 7407563366, ईमेल: cs8187@pnbbank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्राप्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एल्ट्रामा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उपभोक्ता (ओं), जमानतदार (रें) एवं बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास निरोधी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उपभोक्ता (ओं), जमानतदार (रें) एवं बंधककर्ता (ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बचाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

सर्त वं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्तियों) का बंधककर्ता	क) सारफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत योग्य सूचना की तिथि ख) योग्य सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सारफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि घ) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईंधन ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात बाबों का विवरण
	कर्मदार/जमानतदार का नाम एवं पता					
1.	पीपल्स-शाखा: अकोही (269600), मेसर्स दुर्गा ज्वलर स्टोर, प्रोप.-श्री रमेश केशरी खाला नं. 2696008700001650 (उपभोक्ता)	मोहन-मोहनिया, धाना नं. -131, इलाका नं.-9, बाई नं.-9, खाला नं.-333, खेसरा नं.-1074, रकबा-2 डिसेम्बर, डीड नं.-4048 तिथि 20.04.2010. मालिक/बंधककर्ता: श्रीमती चनन देवी पति-श्री रमेश प्रसाद केशरी। चौहड़ी: उत्तर-मीता देवी, दक्षिण-पटेल, भूख-माल माली एवं अन्य, चर्चिचम-रसल।	ख) रु. 25,42,526.220.91/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 24.08.2021 घ) सांकेतिक ङ) रु. 26,59,280.41/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 24,47,820/- ख) रु. 2,44,782/- ग) रु. 50,000/-	26.05.2026 दोपहर 12:00 से सायं 04:00	ज्ञात नहीं
	मेसर्स दुर्गा ज्वलर स्टोर, प्रोप.-श्री रमेश केशरी पता-ग्राम-पोस्ट-धाना-मोहनिया, जिला-कैमूर, बिहार-821109. (जमानतदार)					
	श्रीमती चनन देवी पति-श्री रमेश प्रसाद केशरी, आवासीय पता: ग्राम-पोस्ट-धाना-मोहनिया, जिला-कैमूर, बिहार-821109.					

नियम एवं शर्तें

बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होगी।

- संपत्तियों "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
- उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सबोत जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी प्रति, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बिक्री अप्रोक्सिमेटरी द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26/05/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक की जाएगी।
- बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक

...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank

...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)

ए.आर.एम.बी आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301

ईमेल: cs8187@pnbbank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्राप्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एल्ट्रामा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उपभोक्ता (ओं), जमानतदार (रें) एवं बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास निरोधी/बंधक है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उपभोक्ता (ओं), जमानतदार (रें) एवं बंधककर्ता (ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बचाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

सर्त वं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्तियों) का बंधककर्ता	क) सारफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत योग्य सूचना की तिथि ख) योग्य सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सारफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि घ) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य ख) ईंधन ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात बाबों का विवरण
----------	-------------	--	---	--	----------------------	---